संख्या- 05/2018/171 /62-1-2018-1103/2017

प्रेषक,

शरद कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक- 28 फरवरी, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1079जी/भू0ज0वि0/बी-1/डब्लू, दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 एवं संख्या-20/2017/बी-2-1775/ दस-2017-244/2017, दिनांक 27 दिसम्बर,2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत भूगर्भ जल विभाग में संचालित योजनाओं यथा (राजस्व पक्ष) शासकीय भवनों पर रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली हेतु रू0 3.00 लाख, भूजल संसाधनों गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मैपिंग हेतु रू0 100.00 लाख, भू-जल जन जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार योजना हेतु रू0 10.00 लाख कुल रू0 113.00 लाख तथा (पूंजीगत पक्ष) शासकीय भवनों पर रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली हेतु रू0 55.00 लाख एवं भूगर्भ सर्वेक्षण का विकास, आकंलन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रू0 20.00 लाख इस प्रकार राजस्व पक्ष तथा पूंजीगत पक्ष में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित कुल धनराशि रू0 188.00 लाख तथा लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 के पत्र संख्या-6290/62-2-2017-2/3(14)/2017, दिनांक 20-09-2017 द्वारा पूंजीगत पक्ष में पुनर्विनियोग के माध्यम से यथा-शासकीय भवनों पर रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली में 120.00 लाख तथा भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आकलन एवं सुदृढ़ीकरण योजना में रू0 25.00 लाख कुल रू0 145.00 लाख । इस प्रकार अनूपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त धनराशि रू0 188.00 लाख एवं पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत ध्नराशि रू0 145.00 लाख कुल धनराशि रू0 333.00 लाख में से शासनादेश संख्या-03/2017/355/62-1-1104-2016, दिनांक 28 अप्रैल, 2017 द्वारा लेखानुदान के माध्यम से प्रथम 05 माहों हेतु प्रश्नगत योजनाओं (राजस्व पक्ष) यथा- भूजल संसाधनों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मैपिंग में रू0 52.85, भूजल जनजागरूकता एवं प्रचार-प्रसार योजना में रू0 5.20 लाख तथा (पूंजीगत पक्ष) शासकीय भवनों पर रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली में रू0 120.00 लाख, भूगर्भ सर्वेक्षण का विकास, आकंलन एवं सुदृढ़ीकरण रू0 25.00 लाख इस प्रकार उक्त योजनाओं में निर्गत धनराशि रू0 203.05 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 129.95 लाख को निम्न विवरण के अनुसार स्वीकृत कर राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(अ) <u>राजस्व पक्ष</u>

1- "लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-02-भू-जल-005-अन्वेषण-08-शासकीय भवनों पर रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली।"

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रं0 सं0	मद का नाम	अनुपूरक मांग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि	लेखानुदान के सापेक्ष 05 माहों हेतु निर्गत धनराशि	निदेशक के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	08-कार्यालय व्यय	0.75	-	0.75
2	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.50	-	0.50
3	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1.00	-	1.00
4	18-प्रकाशन	0.75	-	0.75
	योग-	3.00	-	3.00

2- "लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-02-भू-जल-005-अन्वेषण-09-भूजल संसाधनों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मैपिंग।"

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रं0 सं0	मद का नाम	अनुपूरक मांग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि	लेखानुदान के सापेक्ष 05 माहों हेतु निर्गत धनराशि	निदेशक के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	08-कार्यालय व्यय	3.00	1.60	1.40
2	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.00	-	1.00
3	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.00	1.25	0.75
4	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	80.00	50.00	30.00
5	18-प्रकाशन	3.00	-	3.00
6	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	10.00	-	10.00
7	29-अनुरक्षण	1.00	-	1.00
	योग-	100.00	52.85	47.15

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- "लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-02-भू-जल-005-अन्वेषण-11-भू-जल जन जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार योजना।"

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रं0 सं0	मद का नाम	अनुपूरक मांग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि	लेखानुदान के सापेक्ष 05 माहों हेतु निर्गत धनराशि	निदेशक के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	08-कार्यालय व्यय	1.00	0.90	0.10
2	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.50	-	0.50
3	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.20	-	0.20
4	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1.30	-	1.30
5	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3.00	1.00	2.00
6	18-प्रकाशन	1.00	1.10	-0.10
7	42-अन्य व्यय	3.00	2.20	0.80
	योग-	10.00	5.20	4.80
	कुल योग-राजस्व पक्ष	113.00	58.05	54.95

(ब) <u>पूंजीगत पक्ष</u>

1- "लेखाशीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-102-भू-जल-06-शासकीय भवनों पर रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली।"

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रं0सं0	मद का नाम	अनुपूरक मांग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि एवं पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त धनराशि का योग	लेखानुदान के सापेक्ष 05 माहों हेतु निर्गत धनराशि	निदेशक के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	25-लघु निर्माण कार्य	175.00	120.00	55.00
	योग-	175.00	120.00	55.00

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- "लेखाशीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-102-भू-जल-07-भूगर्भ सर्वेक्षण का विकास, आकंलन एवं सुदृढ़ीकरण।"

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रं0 सं0	मद का नाम	अनुपूरक मांग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि एवं पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त धनराशि का योग	लेखानुदान के सापेक्ष 05 माहों हेतु निर्गत धनराशि	निदेशक के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	25-लघु निर्माण कार्य	45.00	25.00	20.00
	योग-	45.00	25.00	20.00
	योग-पूंजीगत पक्ष	220.00	145.00	75.00
	योग-राजस्व पक्ष	113.00	58.05	54.95
	कुल योग(राजस्व*पूंजीगत)	333.00	203.05	129.95

(रूपया एक करोड़ उनतीस लाख पचान्नवे हजार मात्र)

2- उपर्युक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी-

(1) अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय ।

(2) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेशों तथा शासन के अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय ।

(3) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय । व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे ।

(4) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से राजस्व/पूंजीगत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी । अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना शासन को दी जाय ।

(5) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आंवटन एवं आवंटित/ वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का एकमुश्त आहरण कदापि न किया जाय । आवश्यकतानुसार स्वीकृत धनराशि का आहरण किश्तों में किया जाय ।

3- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन सम्बन्धित लेखाशीर्षक की कतिपय प्राथमिक सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

भवदीय,

(शरद कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-05/2018/171 (1)/62-1-2018, तदद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
(3) नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0शासन।
(4) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0शासन ।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0शासन ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
(7) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।